

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023**

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA

.....**APPLICANT(s)**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....**RESPONDENT(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION, UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.09.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	COPIES OF LETTERS DATED 16.12.2025 AND 17.12.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 26.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	COPIES OF BOTH LETTERS DATED 22.11.2025 ALONG WITH THE CERTIFIED FIELD BOOK AND MAP ARE ANNEXED HERewith AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 09.12.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

Date: 21.12.2025

Place: Noida

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 529/2023



IN THE MATTER OF:


DR. SHARAD GUPTA

.....APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENT(s)



**FURTHER COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE CHIEF
CONSERVATOR OF FORESTS, WILDLIFE, WESTERN REGION,
UTTAR PRADESH, KANPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
22.09.2025 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

I, Sanjio Kumar, aged about 56 years, S/o
shri Lala Yogesh chandra Verma posted as Chief Conservator of Forests, Wildlife,
Western Region, Uttar Pradesh, Kanpur, do hereby solemnly affirm and state as
under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public

417/175 Kaila, Near Mojar Devi Das Marg
Nawal Ganj, Chowk, Lucknow

(Signature)

2. That I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the present Original Application pertains to the proposed expansion of the Soor Sarovar Birds Sanctuary, Agra, involving three pieces of land measuring 403.09 hectares, 380.558 hectares, and 15.415 hectares. The final notifications under Section 26A of the Wild Life (Protection) Act, 1972, have been issued in respect of the first two areas, while the notification for the third area (15.415 hectares) is currently under process.

4. That, the deponent, vide Affidavit dated 21.05.2025, submitted the timeline for *completion of the proceedings and issuance of the final notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972*, and the Hon'ble Tribunal was pleased to record the same in paragraph 2 of the order dated 22.05.2025, which are as follows:

S. NO.	DATE RANGE	DETAILS OF PROCEEDINGS
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.


Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR


Advocate & Notary Public
417/175 K/14, Near Major Devi Das Marg
Upper Ganj, Chowk, Lucknow

21/12/2025

[Signature]



3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area.
4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 to 31.01.2026	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow.
6.	01.02.2026 to 01.05.2026	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.



That, vide order dated 25.09.2025, the Hon'ble Tribunal directed as follows:

Learned Counsel for State of UP has also submitted that work is in progress as per the timeline taken note of by Tribunal in paragraph no.2 of the order dated 22.05.2025.

5. It has been pointed out that so far as work which was to be done by District Magistrate, Agra is complete and now further action as per the timeline is required to be taken by the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur. Hence, we direct Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur to file further progress report at least one week before the next date of hearing.

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
417/175 Katra, Near Majar Devi Das Marg
Niwai Ganj, Chowk. Lucknow

Dr

6. List on 23.12.2025..."

II. REPLY IS AS FOLLOWS

6. That, the Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Uttar Pradesh, vide letter No. 1682/10-1 dated 16.12.2025, submitted the updated compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal to the deponent. The same was approved by the deponent vide letter No. 1446/10-1 dated 17.12.2025, with directions to file a timely affidavit before the Hon'ble Tribunal.

Copies of letters dated 16.12.2025 and 17.12.2025 are annexed herewith and collectively marked as **Annexure-1**.

That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the Deputy Conservator, vide letter No. 851/10-1 dated 26.09.2025, constituted a Joint Committee comprising five members under the chairmanship of the Wildlife Warden, Etawah. The said Committee was directed to examine the records available at the range and divisional forest offices, conduct a site inspection/survey, and submit its report.

A copy of letter dated 26.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

8. That, the Joint Committee after studying the records and conducting site-inspection/survey, vide letter no. 506/10-1 dated 22.11.2025 has submitted its report along with the field book, map and the proposal. That, further vide letter

Sworn and Verified
before me

SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public

417/175 K.A. Near Major Devi Das Marg
Nwar Ganj, Chawk. Lucknow

A

number 1417/10-1 dated 22.11.2025, the said documents were sent to the Sub Divisional Magistrate, Tehsil- Kirawali, Agra for certification.

Copies of both letters dated 22.11.2025 along with the certified field book and map are annexed herewith and collectively marked as **Annexure-3**.

9. That, thereafter, vide letter No. 1628/10-1 dated 09.12.2025, all relevant documents, including the field book, proposal, and map, were forwarded to the District Magistrate, Agra, for taking further action/next-step in respect of the final notification of the area admeasuring 14.5025 ha. of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra, under Section 26A(1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

A copy of letter dated 09.12.2025 is annexed herewith and marked as

Annexure-4.

10. That, it is most humbly submitted that the deponent has adhered to the timelines in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, as noted in paragraph no. 2 of the order dated 22.05.2025.

11. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn and Verified
before me

21/12/2025
SURESH KUMAR

Advocate & Notary Public
417/175 Ka/14, Near Majar Devi Das Marg
Niwaj Ganj, Chowk. Lucknow


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at lucknow on this 21 day of December 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



I identify the deponent/executant who has/have signed & T.I before me

01.12.2025

Sworn and Verified before me  at 5.30 PM

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
417/175 Kal' 3, Near Majar Devi Das Merg
Niwar Ganj, Chowk. Lucknow

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 1682 /10-1 आगरा दिनांक दिसम्बर, 16 2025

(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, पश्चिमीक्षेत्र,
उ०प्र० कानपुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25-09-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र के तौर पर दाखिल करने हेतु प्रोग्रेस रिपोर्ट की आख्या पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1499/10-1 दिनांक 13-10-2025

2-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर का पत्रांक 1007/10-1 दिनांक 17-10-2025

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में शपथपत्र के तौर पर दाखिल किये जाने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट हेतु बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1- सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:- (संलग्नक-1)

"5. It has been pointed out that so far as work which was to be done by District Magistrate, Agra is complete and now further action as per the timeline is required to be taken by the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur. Hence, we direct Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Circle, Kanpur to file further progress report atleast one week before the next date of hearing."

2- इसी क्रम में अवगत कराना है कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल प्रतिशपथ पत्र दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित टाइमलाइन का विवरण निम्नवत् है:- (संलग्नक-2)

S. No.	Date Range	Details of Proceedings.
1.	01.05.2025 to 07.07.2025	Time required for proceedings under Sections 19 to 22 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for the 14.5025-hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra.
2.	08.07.2025 to 15.10.2025	Time required for proceedings under Sections 24 and 25 of the Act.
3.	16.10.2025 to 16.12.2025	Time required for preparing field book, maps, and proposal after studying records and surveying the 14.5025-hectare area

4.	17.12.2025 to 17.01.2026	Time required for reviewing the field book, maps, and proposal, and for submitting the proposal to higher authorities for notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
5.	18.01.2026 to 31.01.2026	Time required to take further action after testing/examining the proposal of 14.5025 hectares by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, Lucknow
6.	01.02.2026 to 01.05.2026	Final notification under Section 26A (1)(a) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Government.

3- उपरोक्त टाइमलाइन के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24(1) की उद्घोषणा के उपरान्त सीमांकन कर फील्ड बुक व मानचित्र तैयार कराने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 851/10-1 दिनांक 26-09-2025 द्वारा वन्यजीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। (संलग्नक-3)

4- वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा के कार्यालय के पत्रांक 506/10-1 दिनांक 22-11-2025 से समिति द्वारा सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का सीमांकन उपरान्त फील्ड बुक एवं मानचित्र प्रेषित किया गया। (संलग्नक-4)

5- इस कार्यालय के पत्र दिनांक 1417/10-1 दिनांक 22-11-2025 द्वारा उक्त फील्ड बुक एवं मानचित्र को तहसील किरावली को प्रेषित कर सत्यापित कराया गया। (संलग्नक-5)

6- उक्त के क्रम में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 14.5025 हे० वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना हेतु प्रस्ताव व अंग्रेजी व हिन्दी के आलेख तैयार कराकर परिशीलन उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मय संलग्नक इस कार्यालय के पत्रांक 1628/10-1 दिनांक 09-12-2025 द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली सहित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन आगरा के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा के हस्ताक्षर की कार्यवाही प्रचलित है। (संलग्नक-6)

7- इसके उपरान्त प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाएगा।

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनवायी की अगली नियत तिथि 23-12-2025 को शपथ पत्र के तौर पर मा० अधिकरण में दाखिल किया जाना है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रोग्रेस रिपोर्ट को शपथ पत्र के रूप में तैयार किये जाने हेतु वांछित आख्या महोदय के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है। सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,

राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक:- /10-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चौदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

पत्रांक : 1446 / 10-1

कानपुर, दिनांक, 17 दिसम्बर/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
आगरा।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0सं0 529/2023 (डा0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र के तौर पर दाखिल करने हेतु प्रोग्रेस रिपोर्ट की आख्या पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ— 1— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक—1499/10-1, दिनांक 13.10.2025।
2—आपके कार्यालय का पत्रांक—1682/10-1, दिनांक 16.12.2025।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2025 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 में अनुपालन में प्रोग्रेस रिपोर्ट को शपथ पत्र के रूप में तैयार किये जाने के लिए आख्या अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त के आलोक में प्रोग्रेस रिपोर्ट को शपथ पत्र के रूप में तैयार किये जाने हेतु वांछित आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में श्री भवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर कार्य प्रगति (प्रोग्रेस रिपोर्ट) शपथ पत्र के रूप में ससमय दाखिल कराने एवं प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

पत्रांक— 1446 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपर्युक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री भवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।



(संजीव कुमार)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 851 / 10-1

दिनांक, आगरा, 26, सितम्बर, 2025


(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

आदेश

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के सीमा सुव्यवस्थाकरण के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ०ए०सं० 529 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2025 के अनुपालन में प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनवायी की अगली नियत तिथि 23-12-2025 को शपथ पत्र के तौर पर मा० अधिकरण में दाखिल किया जाना है। इस हेतु वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा एवं श्री नवीन कुमार, सर्वेयर, मुख्यालय के साथ स्थल की सर्वेक्षण कराना अतिआवश्यक है, जिससे उक्त प्रकरण में पारदर्शिता बनी रहें। राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट, आगरा में उपरोक्तानुसार निर्देशों के क्रम में यथावश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा | - | अध्यक्ष |
| 2. | क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा | - | सदस्य |
| 3. | बनानी मुखर्जी, कोर्टकेस प्रभारी, मुख्यालय, आगरा | - | सदस्य |
| 4. | नवीन कुमार, सर्वेयर, मुख्यालय आगरा | - | सदस्य |


उक्त समिति प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख एवं आवश्यकतानुसार रेंज कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का गहन परीक्षण/अवलोकन कर व मौके पर सर्वे कार्य कर दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त वाद में सुनवायी की नियत तिथि 23-12-2025 से 01 सप्ताह पूर्व शपथ पत्र तैयार कर संस्तुति सहित रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही 01 सर्वेयर हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर से मांग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। सर्वेयर प्राप्त होते ही वह भी इस उपरोक्त समिति को सदस्य नियुक्त किया जाएगा।


उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 851 / 10-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा
2. क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा
3. बनानी मुखर्जी, कोर्टकेस प्रभारी, मुख्यालय, आगरा
4. नवीन कुमार, सर्वेयर, मुख्यालय आगरा


उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैक्युरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

d/c

कार्यालय वन्यजीव प्रतिपालक राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, इटावा ।

पत्रांक 506 /10-1

दिनांक

इटावा, नवम्बर, 22, 2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,

उ0प्र0 आगरा ।

विषय- सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा के सीमा सुवयव्स्थीकरण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल ओ-ए- संख्या 529/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन में के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- आपका कार्यालय आदेश पत्रांक 851/10-1 दिनांक 26.09.2025

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.09.2025 द्वारा विषयांकित प्रकरण के अनुपालन के सम्बन्ध में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया । उक्त के क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित ड्राफ्ट प्रस्ताव, फील्डबुक, मानचित्र व अंग्रेजी एवं हिन्दी ड्राफ्ट आलेख संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

अतः रिपोर्ट महोदया की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय



वन्यजीव प्रतिपालक

राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट

इटावा ।

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा

पत्रांक:- 1417 /10-1
सेवा में,

आगरा, दिनांक नवम्बर, 22-2025

उप जिलाधिकारी,
तहसील- किरावली,
जनपद- आगरा।

विषय:- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओए संख्या-529/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 व 25.09.2025 के अनुपालन में राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा के अन्तर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की फील्ड बुक व मानचित्र के सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओए संख्या-529/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 व 25.09.2025

उपरोक्त विषयक संदर्भित मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेशों के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26(A) 1(a) की अधिसूचना की जानी है। उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 24(1) की अधिसूचना के उपरान्त उक्त भूमि 14.5025 हे० का सीमांकन विभागीय सर्वेयर द्वारा कराकर फील्ड बुक व मानचित्र तैयार कर मय पत्रावली क्षेत्रीय वनाधिकारी सूर सरोवर पक्षी विहार के माध्यम से तहसील स्तर पर सत्यापन हेतु भेजी जा रही है। प्रकरण मा. न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है तथा टाइमलाइन के समयबद्ध अनुपालन के दृष्टिगत सम्बन्धित को यथाशीघ्र सत्यापन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र० आगरा।

पत्रांक:- 1417 /10-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर जिलाधिकारी प्रशासन, आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- तहसीलदार किरावली, आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी, सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फील्ड बुक व मानचित्र का सत्यापन तहसील स्तर से कराने के उपरान्त उक्त भूमि 14.5025 हे० की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26(A) 1(a) का प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कराना सुनिश्चित करें।


(चाँदनी सिंह)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र० आगरा।

जनपद आगरा के अर्न्तगत सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) के अर्न्तगत अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव-

सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा-18 की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा की गयी है।(संलग्नक-1)

तत्क्रम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के 14.5025 हे० सरकारी भूमि की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 की उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 (संलग्नक-2) को की गयी।

इसी क्रम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-22 की जांच के उपरान्त दिनांक 16-09-2025 को सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 24(1) (संलग्नक-3) की उद्घोषणा की गयी, जिसके अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का विवरण निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

वन खण्ड-3

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
18	रूनकता	0.0675
कुल योग		0.0675हे०

क्षेत्रफल का कुल योग

वन खण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
1	रूनकता	0.949
2	चौमा फरह	13.486
3	रूनकता	0.0675
कुल योग		14.5025हे०

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के लिए प्रस्ताव मय विज्ञापित हेतु हिन्दी व अंग्रेजी आलेख, खतौनी, सीमांकन की फील्ड बुक एवं मानचित्र (संलग्नक-4) के साथ 05 प्रतियों में प्रेषित है। उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

जिलाधिकारी, आगरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा।
पत्रांक /10-1 आगरा, दिनांक, दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन, संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।
6. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
7. आयुक्त, आगरा मण्डल।
8. जिलाधिकारी, आगरा।
9. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा।
10. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
11. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
12. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा।
13. नोटिस बोर्ड।


जिलाधिकारी, आगरा

अनुसूची-क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे०)	सीमायें
आगरा	किरावली	किरावली	रूनकता	01	0.599	नीचे दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार
			रूनकता	04	0.350	
			रूनकता	18	0.0675	
			चौमा फरह	99	0.691	
			चौमा फरह	101	12.795	
			कुल		14.5025	

ब्लॉक संख्या-01

स्तम्भ सं०	से	तक	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की दिशा	अनुमानित चुम्बकीय असर		अगले स्तम्भ की लगभग दूरी (66 फीट लम्बी जरीब से)		सीमा की प्रकृति	विवरण
					अग्र (कोण)	पश्च (कोण)	जरीब	कड़ी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे० के स्तम्भ सं० 11 पर	उ०प०	357°00'	177°00'	1	30	सीधी लाइन	स्तम्भ संख्या 01 ग्राम सींगना के गाटा सं० 612 व 613 व ग्राम रूनकता के गाटा सं० 04 की मेड़ पर।	
2	3	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	उ०प०	341°00'	161°00'	6	00	सीधी लाइन		
3	4	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	उ०प०	344°30'	164°30'	8	30	सीधी लाइन		
4	5	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	उ०पू०	38°30'	218°30'	4	20	सीधी लाइन		
5	6	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	उ०पू०	54°00'	234°00'	1	60	सीधी लाइन		
6	7	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	द०पू०	107°00'	287°00'	4	70	सीधी लाइन		
7	8	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर	उ०पू०	69°00'	249°00'	2	40	सीधी लाइन		
8	9	कीठम निकास नाला के बायें किनारे पर यमुना नदी के पास	द०प०	201°00'	21°00'	2	00	सीधी लाइन		
9	10	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर यमुना नदी के पास	उ०प०	281°00'	101°00'	6	80	सीधी लाइन		

Ap- 

637

1		2	3	5		6	7		
10	11	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर	द०प०	218°00'	38°00'	4	00	सीधी लाइन	
11	12	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर	द०पू०	164°30'	344°30'	10	20	सीधी लाइन	
12	13	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर	द०पू०	155°30'	335°30'	2	30	सीधी लाइन	
13	14	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर	द०पू०	173°30'	353°30'	2	80	सीधी लाइन	
14	15	कीठम निकास नाला के दायें किनारे पर	द०प०	190°00'	10°00'	1	60	सीधी लाइन	
15	1	सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे० के स्तम्भ सं० 12 पर	उ०प०	342°00'	162°00'	1	60	सीधी लाइन	ब्लॉक सं० 01 बन्द

ब्लॉक संख्या-02

स्तम्भ सं०		स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की दिशा	अनुमानित चुम्बकीय असर		अगले स्तम्भ की लगभग दूरी (66 फीट लम्बी जरीब से)		सीमा की प्रकृति	विवरण
से	तक			अग्र (कोण)	पश्च (कोण)	जरीब	कड़ी		
1	2	3	4		5		6	7	
1	2	सूरदास आरक्षित वन के (380.558 हे०) के स्तम्भ सं० 193 पर	उ०प०	279°00'	99°00'	06	20	सीधी लाइन	स्तम्भ संख्या 01 ग्राम चौमा फरह के गाटा सं० 101 व 103 के दक्षिण दिशा की मेड़ पर।
2	3	सूरदास आरक्षित वन के (380.558 हे०) के स्तम्भ सं० 194 पर	उ०प०	331°00'	151°00'	06	70	सीधी लाइन	
3	4	सूरदास आरक्षित वन के (380.558 हे०) के स्तम्भ सं० 195 पर	द०प०	234°00'	54°00'	05	90	सीधी लाइन	
4	5	सूरदास आरक्षित वन के (380.558 हे०) के स्तम्भ सं० 196 पर	उ०प०	288°00'	108°00'	01	80	सीधी लाइन	
5	6	ग्राम अरसेना की सीमा पर ग्राम चौमा फरह के गाटा संख्या 92/108 व 99 की मेड़ पर	उ०पू०	54°00'	234°00'	02	80	सीधी लाइन	
6	7	कीठम स्केप के बांये किनारे ग्राम चौमा फरह के गाटा संख्या 92/108 व 99 की मेड़ पर	उ०प०	305°00'	125°00'	01	20	सीधी लाइन	



		2	3	4 638		5		6	7
8		ग्राम चौमा फरह के गाटा सं० 99, 92/108 व 92 की मेड़ पर	उ०पू०	49°30'	229°30'	05	00	सीधी लाइन	
8	9	ग्राम चौमा फरह के गाटा सं० 99, 92 व 101 की मेड़ पर	उ०प०	331°00'	151°00'	13	60	सीधी लाइन	
9	10	ग्राम चौमा फरह के गाटा सं० 101 व 80 की मेड़ पर	उ०पू०	61°30'	241°30'	13	30	सीधी लाइन	
10	11	सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे०के स्तम्भ सं० 24 पर	द०पू०	162°00'	342°00'	26	40	सीधी लाइन	
11	1	सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 403.09 हे०के स्तम्भ सं० 23 पर	द०प०	233°30'	53°30'	06	10	सीधी लाइन	ब्लॉक सं० 02 बन्द

ब्लॉक संख्या-03

स्तम्भ सं०	से	तक	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की दिशा	अनुमानित चुम्बकीय असर		अगले स्तम्भ की लगभग दूरी (66 फीट लम्बी जरीब से)		सीमा की प्रकृति	विवरण
					अग्र (कोण)	पश्च (कोण)	जरीब	कड़ी		
1			2	3	4		5		6	7
1		2	सूरदास आरक्षित वन के क्षेत्रफल 380.558 हे० के स्तम्भ सं० 01 पर	उ०पू०	4°00'	184°00'	3	75	सीधी लाइन	स्तम्भ संख्या 01 मथुरा-आगरा(NH-19) सड़क किनारे, सूरदास आरक्षित वन के क्षेत्रफल 380.558 हे० के स्तम्भ सं० 01 पर
2		3	सूर सरोवर पक्षी विहार के अन्दर जाने वाली सड़क (ग्राम रूनकता के गाटा संख्या 18) के बांये ओर	द०पू०	97°00'	277°00'	0	45	सीधी लाइन	
3		4	सूर सरोवर पक्षी विहार के अन्दर जाने वाली सड़क (ग्राम रूनकता के गाटा संख्या 18) के दांये ओर	द०प०	184°00'	4°00'	3	75	सीधी लाइन	
4		1	सूर सरोवर पक्षी विहार के प्रवेश द्वार के पास NH-19 पर	उ०प०	277°00'	97°00'	0	45	सीधी लाइन	ब्लॉक सं० 03 बन्द

8

वे

Rohit Kumar
(राहुल कुमार)
त. 01/20

Yogesh Kumar
(योगेश कुमार)
व. 26

Jitendra
(जितेंद्र)
सतीश चन्द
सिधपाल

Ad
(अदिति)
NT

Sharma
(नवीन कुमार)
सि.न.सं. बाजरा

(S)
शान्तराविकाश
(सर्वपरबत प्रशासक)

(S)
(सुभाज सिंह)
नम प्रोड

Banani
(Banani Mukherji)
Dy. R.O
N.E.S.P Agra

Ary
(अमित यादव)
RO - SSBS

(K)
(K.C. Shekhar)
K/LM
NCSP - Etawah

(S)
NT(A)

(S)
Tsh.K)



SCHEDULE-A

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata no.	Area (Ha.)	Boundary
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Runkata	01	0.599	As per the detailed description given below
			Runkata	04	0.350	
			Runkata	18	0.0675	
			Chauma Farah	99	0.691	
			Chauma Farah	101	12.795	
			Total			

Block no.-01

Pillar no.		Position of Pillar	Direction of next pillar	Approximate magnetic bearing		Approximate distance to the next pillar in chain of 66 ft.		Nature of the border	Description
from	Till			Forward (deg)	Back (deg)	Chain	Link		
1	2	3	4		5		6	7	
1	2	On pillar no. 11 of Soor Sarovar Bird Sanctuary area of 403.09 ha	NW	357°00'	177°00'	1	30	Straight line	Pillar No. 01 on the boundary of Gata No. 612 and 613 of Village Singana and Gata No. 04 of Village Runkata
2	3	On left side of Keetham Escape Nala	NW	341°00'	161°00'	6	00	Straight line	
3	4	On left side of Keetham Escape Nala	NW	344°30'	164°30'	8	30	Straight line	
4	5	On left side of Keetham Escape Nala	NE	38°30'	218°30'	4	20	Straight line	
5	6	On left side of Keetham Escape Nala	NE	54°00'	234°00'	1	60	Straight line	
6	7	On left side of Keetham Escape Nala	SE	107°00'	287°00'	4	70	Straight line	
7	8	On left side of Keetham Escape Nala	NE	69°00'	249°00'	2	40	Straight line	
8	9	On left side of Keetham Escape Nala near Yamuna river	SW	201°00'	21°00'	2	00	Straight line	

A

G

Aug -

K

EW

ANT 10

1		2	3	4		5		6	7
9	10	On right side of Keetham Escape Nala near Yamuna river	NW	281°00'	101°00'	6	80	Straight line	
10	11	On right side of Keetham Escape Nala	SW	218°00'	38°00'	4	00	Straight line	
11	12	On right side of Keetham Escape Nala	SE	164°30'	344°30'	10	20	Straight line	
12	13	On right side of Keetham Escape Nala	SE	155°30'	335°30'	2	30	Straight line	
13	14	On right side of Keetham Escape Nala	SE	173°30'	353°30'	2	80	Straight line	
14	15	On right side of Keetham Escape Nala	SW	190°00'	10°00'	1	60	Straight line	
15	1	On pillar no. 12 of Soor Sarovar Bird Sanctuary area of 403.09 ha	NW	342°00'	162°00'	1	60	Straight line	Closed Block-01

Block no.-02

Pillar no.		Position of Pillar	Direction of next pillar	Approximate magnetic bearing		Approximate distance to the next pillar in chain of 66 ft.		Nature of the border Till	Description
from	Till			Forward (deg)	Back (deg)	Chain	Link		
1		2	3	4		5		6	7
1	2	At pillar no. 193 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)	NW	279°00'	99°00'	06	20	Straight line	Pillar no. 01 on the southern boundary of Gata No. 101 and 103 of village Chauma Farah
2	3	At pillar no. 194 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)	NW	331°00'	151°00'	06	70	Straight line	
3	4	At pillar no. 195 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)	SW	234°00'	54°00'	05	90	Straight line	
4	5	At pillar no. 196 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)	NW	288°00'	108°00'	01	80	Straight line	
5	6	On the boundary of village Arsena and gata no. 92/108 and 99 of village Chauma Farah	NE	54°00'	234°00'	02	80	Straight line	

1		2	3	4		5		6	7
6	7	At the left side of Keetham Escape on the boundary of gata no. 92/108 and 99 of village Chauma Farah	NW	305°00'	125°00'	01	20	Straight line	
7	8	On the boundary of Gata No. 99, 92/108 and 92 of village Chauma Farah	NE	49°30'	229°30'	05	00	Straight line	
8	9	On the boundary of gata no. 99, 92 and 101 of village Chauma Farah	NW	331°00'	151°00'	13	60	Straight line	
9	10	On the boundary of gata no. 101 and 80 of village Chauma Farah	NE	61°30'	241°30'	13	30	Straight line	
10	11	At Pillar No. 24 of Soor Sarovar Bird Sanctuary area 403.09 ha	SE	162°00'	342°00'	26	40	Straight line	
11	1	At Pillar No. 23 of Soor Sarovar Bird Sanctuary area 403.09 ha	SW	233°30'	53°30'	06	10	Straight line	Closed Block-03

Block no.-03

Pillar no.		Position of Pillar	Direction of next pillar	Approximate magnetic bearing		Approximate distance to the next pillar in chain of 66 ft.		Nature of the border Till	Description
from	Till			Forward (deg)	Back (deg)	Chain	Link		
1	2	3	4		5		6	7	
1	2	On pillar no. 01 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)	NE	4°00'	184°00'	3	75	Straight line	Pillar no. 01 near Mathura-Agra (NH-19) Road, at pillar no. 01 of Soordas Reserved Forest (380.558 ha)
2	3	On the left side of the road leading to Soor Sarovar Bird Sanctuary (Gata No. 18 of Village Runkata)	SE	97°00'	277°00'	0	45	Straight line	
3	4	On the right side of the road leading to Soor Sarovar Bird Sanctuary (Gata No. 18 of Village Runkata)	SW	184°00'	4°00'	3	75	Straight line	
4	1	Near NH-19 at the entrance of Soor	NW	277°00'	97°00'	0	45	Straight line	Closed Block-03

Handwritten marks: a checkmark and the letter 'S'.

Handwritten signature: 'Ay'.

Handwritten signature: a circular mark with a cross inside.

Handwritten signature: a stylized mark.

Handwritten signature: 'ANT 10'.

Sarovar Bird
Sanctuary

Rohit Kumar
(शहूल कुमार)
न.जी.ए.

Yogesh Kumar
(योगेश कुमार)
क.श.

Jitendra
क.श.

Dr
श.जी.ए.

Narain
(नवीन कुमार)
सर्वेया
रा.च.से. आगरा

Dr
श.जी.ए.
(सर्वेया क.प्रजापति)

Dr
(सुकराज शेट)
क.श.

Dr
(सतीशानन्द)
क.श.

Banani Mukherji
(Banani Mukherji)
Dy. R.O
N.C.S.P. - Agra

Anup
(अनूप यादव)
RO-SSBS


K.P.
(K.P. Shetty)
W.L.W
N.C.S.P. - Etawah

Dr
NT(A)

Dr
Teh'K)



FOREST MAP
SOOR SAROVAR
BIRD SANCTUARY
AGRA
SCALE - 16" = 1 MILE



AREA INDEX	
GATA NO.	AREA (Hect)
18	0.0675
99	0.691
04	0.350
01	0.539
101	12.795
TOTAL	14.5025

INDEX	
FOREST BOUNDARY	—●—●—
FOREST BLOCK	—●—●—
ROAD	=====
NALA	~~~~~
RAILWAY LINE	====+====
VILLAGE	JC JC
RIVER	~~~~~

Handwritten notes and signatures in Hindi and English. Includes names like 'K.C. Sharma' and 'N.C.S.P. Sharma'. There are also some illegible signatures and dates.

Mathura to Agra Railway Line
GATA 200-3
BLOCK NO-03
NH-2 (NH-104)

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

पत्रांक 1628/10-1 आगरा दिनांक दिसम्बर, 09 2025
(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित ओ०ए०सं० 529/2023 (डा० शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25-09-2025 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) की अधिसूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए० संख्या 529/2023 (शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) में पारित आदेश दिनांक 22-05-2025 में वर्णित टाइमलाइन के बिन्दु सं० 04 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना की जानी है। (संलग्नक-1)

इस आलोक में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या 630/81-4-2024 दिनांक 27-12-2024 द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल 14.5025 हे० सरकारी भूमि के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के धारा-18 (संलग्नक-2) की अधिसूचना की गई है। तत्क्रम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के 14.5025 हे० सरकारी भूमि की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 21 की उद्घोषणा दिनांक 24.04.2025 (संलग्नक-3) को की गयी। जिलाधिकारी आगरा द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-22 की जांच के उपरान्त दिनांक 16-09-2025 को सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 24(1) (संलग्नक-4) की उद्घोषणा की गयी, जिसके अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० का विवरण निम्नवत् है-

वन खण्ड-1

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
04	रूनकता	0.350
01	रूनकता	0.599
कुल योग		0.949हे०

वन खण्ड-2

गाटा सं०	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
99	चौमा फरह	0.691
101	चौमा फरह	12.795
कुल योग		13.486हे०

ORC

गाटा सं०	वन खण्ड-3	
18	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
	रूनकता	0.0675
	कुल योग	0.0675हे०

वन खण्ड	क्षेत्रफल का कुल योग	
1	ग्राम	क्षेत्रफल (हे०)
2	रूनकता	0.949
3	चौमा फरह	13.486
	रूनकता	0.0675
	कुल योग	14.5025हे०

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा के क्षेत्रफल 14.5025 हे० के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-26A(1)(a) की अंतिम अधिसूचना के लिए प्रस्ताव मय विज्ञप्ति हेतु हिन्दी व अंग्रेजी आलेख, खतौनी, सीमांकन की फील्ड बुक एवं मानचित्र (संलग्नक-5) के साथ 05 प्रतियों में संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(चांदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट
डू०प्र० आगरा।

पत्रांक 1628 /

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(चांदनी सिंह)

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट
डू०प्र० आगरा।